(वाद संख्या–4850/4–37/2020)

23.02.2021

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, रतन कुमार पाण्डेय जो सिवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखण्ड के बिस्कोमान गोदाम में एम0टी0एस0–सह सेल्समैन के पद पर पदस्थपित था, को भारी वर्षा से गोदाम में पानी भर जाने के कारण गोदाम में रखे खाद्यान की नुकसान की भरपाई हेतु जिम्मेदार ठहराकर गलत रूप से मैरवा थाना कांड संख्या–272/20 संस्थित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में बिस्कोमान के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी, जो घटना के समय कृषक सेवा केन्द्र, मैरवा, सिवान का प्रभारी भी था, के द्वारा 8,66,681.86/–रूपए उर्वरक बिक्री राशि को गबन करने को लेकर मैरवा थाना कांड सं0–272–/20, दिनांक–05.09.2020 संस्थित किया गया था, जो वर्त्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है। इसके अतिरिक्त परिवादी पर दुकान का सील तोडकर उर्वरक बिक्री का भी अभियोग है। परिवादी द्वारा बिस्कोमान की गबन की गयी राशि को एक माह के अन्दर जमा करने का लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन इसके बाबजूद भी उनकी ओर से गबन की गयी उक्त राशि को जमा नही किया गया है।

अब, जबकि परिवाद–पत्र में उल्लेखित घटना को लेकर मैरवा थाना कांड सं0–272/2020, दिनांक–05.09.2020 अनुसंधानान्तर्गत है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में कोई अनुशंसा किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

<u>निबंधक</u>